

12/08/22

पत्रानली पेश हुई। जहाँ पक्षकारान पर मन्त व पत्रानली, पत्रानली पर उपलब्ध दस्तावेज व वर्णित मयन का अवलोकन किया गया। इस संदर्भ में न्यायालय की यह विवेचना है कि रिकार्ड ऑफ राइट्स के निरंतर अद्यतन (update) के लिए नामांतरण (mutation) रखा जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी कृषि भूमि के संदर्भ में समय के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन (subsequent developments) का रिकार्ड ऑफ राइट्स में अंकन किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

वर्तमान भूमि के संबंध में दिनांक 26/10/2020 के अन्तर्िम अस्वार्ड निवेद्याना आदेश के कारण जौत दुस पक्षकारान के वारिसान व रजिस्टर्ड विक्रय होने पश्चात वने पक्षकारों का रिकार्ड ऑफ राइट्स में अंकन नहीं हो पा रहा। इस कारण वर्तमान रिकार्ड से स्थिति ज्ञात कर आंकलन कर पाना व पक्षकारों के हित निधारित कर पाना संभव नहीं है। कुछ पक्षकार अपनी भूमि में रहने रहव इसे उन्नत भी नहीं कर पा रहे जो कि उनका मूल अधिकार है।

मूल वाद विभाजन का श्री निर्णय कर पाने में श्री तन्त्री सहूलियत रहेगी जब तक कि प्रभावित पक्षकारान के नाम का रिकार्ड आफ राइट्स में अंकन हो जाए। इसके पश्चात ही उनके हितों / अधिकारों का निर्णय कर पाना व्यापकित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय अंतरिम अस्वार्थ निर्णयानु आदेश 26/10/2020 को खारिज करता है। न्यायालय प्रा.पत्र अस्वार्थ निर्णयानु में स्वीकार कर सकी पक्षकारान को पालंद करना व्यापकित समझता है कि उक्त पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि के किसी विशिष्ट शू-आग के कोई भी निर्णय का अंकन कर ना तो ज्ञेयान करे और ना ही किसी अन्य प्रकार का ऐसे विशिष्ट दिशा बोध के साथ और कोई दृष्टानतरण करे क्योंकि अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक माहत्कार स्वतंत्रता/सह-स्वतंत्रता का समान अधिकार है। ऐसा उक्त पक्षकारान ना तो स्वयं करे वा ही किसी और के माध्यम से करवाये। उपरोक्त आशय के साथ यह प्रा.पत्र अस्वार्थ निर्णयानु स्वीकार कर, उक्त पक्षकारान को पालंद कर, मूल वाद के निस्तारण तक confirm किया जाता है। प्रा.पत्र फाईल फीसल शुमार है, नंबर से कम शुमार, पारिवल दफतर हो। यह निर्णय शुल न्यायालय में सुनाया गया।